रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33001/99 REGD. NO. D. L.-33001/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 9, 2002/माघ 20, 1923
No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 9, 2002/MAGHA 20, 1923

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2002

सा.का.नि. 36.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संसदीय कार्य मंत्रालय (भर्ती और सेवा शर्तें) नियम, 1963 को जहां तक उनका संबंध उप सचिव के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, संसदीय कार्य मंत्रालय में उप सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसदीय कार्य मंत्रालय, उप सचिव भर्ती नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
उप सचिव	3* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	12000-375-16500 रु.	योग्यता के आधार पर चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	कुछ नहीं

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रोन्नति :**—ऐसे अवर सचिव जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण :**—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

12

प्रतिनियुक्ति :—केन्द्रीय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 10000-15200 रु० के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है, और

(ख) जिनके पास प्रशासन संबंधी दस वर्ष का अनुभव है जिसमें संसदीय या विधायी कृत्यों में तीन वर्ष का अनुभव भी सम्मिलित है।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे)।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय—सदस्य 3. संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय—सदस्य	प्रतिनियुक्ति के आधार पर राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों से अधिकारियों की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. एफ 4(1)/2001-प्रशासन]

पी.एस. मल्होत्रा, अवर सचिव

टिप्पण :—मंत्रालय के मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1850 तारीख 29 नवम्बर, 1963 द्वारा प्रकाशित किए गए और उसके पश्चात् समय-समय पर संशोधन किए गए तथा ऐसा अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 347 तारीख 24 मई1990 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 1st February, 2002

G. S. R. 36.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Parliamentary Affairs (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963, in so far as it relates to the post of Deputy Secretary except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Secretary in the Ministry of Parliamentary Affairs, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Parliamentary Affairs, Deputy Secretary Recruitment Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scales of pay.**—The number of the said posts, its classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule, annexed hereto.

3. **Method of recruitment, age limit and qualifications etc.** :—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax** :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving** :—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection by Merit or selection-cum-seniority or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Deputy Secretary	03* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs.12000-375-16500/-	Selection by merit	Not applicable

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Nil

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
11	12
Promotion failing which by deputation.	**Promotion :** Under Secratery with five years' regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period, if prescribed.

12

Deputation :

Officers under the Central or State Governments or Union Territories :—

(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/Department; or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 10000-15200/- or equivalent in the parent cadre or Department; and

(b) possessing ten years' administrative experience including three years' in parliamentary or legislative functions.

The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same of other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman 2. Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs—Member 3. Joint Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs—Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing officers from state Governments or Union Territories on deputation basis

[F. No. F. 4(1)/2001-Admn.]

P. S. MALHOTRA, Under Secy.

Note.—Principal rules of the Ministry were published in the Gazette of India, vide notification No. G.S.R. 1850 dated 29th November, 1963 and subsequently amended from time to time and last such amendment was made vide Notification No. GSR 347 dated 24th May, 1990.

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2002

सा. का. नि. 37.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संसदीय कार्य मंत्रालय (भर्ती और सेवा शर्तें) नियम 1963 को जहां तक उनका संबंध अवर सचिव के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, संसदीय कार्य मंत्रालय में अवर सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसदीय कार्य मंत्रालय, अवर सचिव भर्ती नियम 2002 है।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं।
1	2	3	4	5	6	7
अवर सचिव	6* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय।	10000-325-15200 रु.	चयन सह ज्येष्ठता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रोन्नति** :—ऐसे अनुभाग अधिकारी जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण** :—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

12
प्रतिनियुक्ति :—केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 6500-10500 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की है, और (ख) जिनके पास प्रशासन संबंधी पांच वर्ष का अनुभव है जिसमें संसदीय या विधायी कृत्यों में एक वर्ष का अनुभव भी सम्मिलित है। (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे)। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय—सदस्य 3. उप सचिव, (प्रशासन), संसदीय कार्य मंत्रालय—सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. एफ 4(1)/2001-प्रशासन]

पी. एस. मल्होत्रा, अवर सचिव

टिप्पण :—मंत्रालय के मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1850 तारीख 29 नवम्बर, 1963 की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किए गए और उसके पश्चात् समय-समय पर संशोधन किए गए तथा अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 260 तारीख 3 जून, 1996 द्वारा किया गया।

New Delhi, the 1st February, 2002

G. S. R. 37.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Parliamentary Affairs (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963, in so far as it relates to the post of Under Secretary except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Under Secretary in the Ministry of Parliamentary Affairs, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Parliamentary Affairs, Under Secretary Recruitment Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule, annexed hereto.

3. **Method of recruitment, age limit, and qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post ;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax** :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving** :—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Under Secretary	06* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 10000-325-15200	Selection -cum-seniority	Not applicable

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) rules 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for promotees

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
11	12
Promotion failing which by deputation.	**Promotion :** Section Officer with eight years' regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualiyfing or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period, if prescribed.

12

Deputation :
Officers under the Central or State Governments or Union Territories :—

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/Department; or

(ii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 6500-10500/- or equivalent in the parent cadre or Department; and

(b) possessing five years' administrative experience including one year in Parliamentary or legislative functionl.

The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
1. Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Joint Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs—Member 3. Deputy Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs—Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

[F. No. F. 4(1)/2001-Admn.]

P.S. MALHOTRA, Under Secy.

Note—Principal rules of the Ministry were published in the Gazette of India, vide notification No. G.S.R. 1850 dated 29th November, 1963 and subsequently amended from time to time and last such amendment was made vide Notification No. GSR 260 dated 3rd June, 1996

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

(भारत का विधि आयोग)

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2001

सा. का. नि. 38.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समय-समय पर यथा संशोधित विधि आयोग (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती नियम 1987 को अधिक्रांत करते हुए विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय, विधि कार्य विभाग के अधीन विधि आयोग में समूह "क" और समूह "ख" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि आयोग (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती नियम 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वह होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहीं वह उनके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयन या चयन सह-ज्येष्ठता अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
अधीक्षक (विधि)	02* (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" राजपत्रित, अननुसचिवीय	7450-225-11500 रु.	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं **टिप्पण 1:**—केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2:**—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीपों या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	हां

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक :—किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में मास्टर डिग्री या समतुल्य और जिनके पास विधि में, अध्यापन और/या अनुसंधान का दो वर्ष का अनुभव है। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बैचलर डिग्री या समतुल्य और विधि में अध्यापन और/या अनुसंधान का चार वर्ष का अनुभव है। या राज्य न्यायिक सेवा का चार वर्ष तक सदस्य रहा हो। या ऐसा अर्हता प्राप्त विधि व्यवसायी अर्थात् अधिवक्ता (अधिवक्ता अधिनियम, 1961 अर्थ के अंतर्गत) होना चाहिए जिसने उस रूप में चार वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो। **टिप्पण 1:**—उस अवधि की संगणना करने में जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने, राज्य न्यायिक सेवा में कोई पद धारण किया है, ऐसी कोई अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान उसने कोई अन्य विधिक पद धारण किया है या जिसके दौरान वह विधि व्यवसायी रहा है। **टिप्पण 2 :**—उस अवधि की संगणना करने में जिसके दौरान कोई व्यक्ति विधि व्यवसायी रहा है, ऐसी कोई अवधि भी सम्मिलित की जाएगी, जिसके दौरान उसने राज्य न्यायिक सेवा में कोई पद धारण किया है या राज्य सरकार/केंद्रीय सरकार/संघ शासित क्षेत्र सरकार के किसी विभाग/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों में विधिक पद धारण किया है। **टिप्पण 3 :**—अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 4 :**—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं (हैं), जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। **वांछनीय :**—विधि अनुसंधान में एक वर्ष का अनुभव।	नहीं	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
सीधी भर्ती। **टिप्पणी :**—पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी, अर्थात् :— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने 5500-9000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 में विहित शैक्षिक अर्हताएं व अनुभव हैं।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति, (स्थायीकरण के संबंध में विचार करने के लिए) : 1. सदस्य-सचिव/संयुक्त सचिव और विधि अधिकारी, विधि आयोग—अध्यक्ष 2. अपर विधि अधिकारी, विधि आयोग/अपर विधि सलाहकार, विधि कार्य विभाग—सदस्य 3. उप विधि अधिकारी, विधि आयोग/उप विधि सलाहकार/उप सचिव, विधि कार्य विभाग—सदस्य	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7
2. सहायक विधि अधिकारी	05* (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय	10000-325-15,200 रु.	चयन-सह-ज्येष्ठता	40 वर्ष से अधिक नहीं **टिप्पण 1 :**—(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :**—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड,	हां

	6
	हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीपों या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

8	9	10
आवश्यक :—किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में मास्टर डिग्री या समतुल्य और जिनके पास विधि में, ना अध्यापन और/या अनुसंधान का पांच वर्ष का अनुभव है। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बैचलर डिग्री या समतुल्य और जिनके पास विधि में अध्यापन और या अनुसंधान का सात वर्ष का अनुभव है। या राज्य न्यायिक सेवा का सात वर्ष तक सदस्य रहा हो, या ऐसा अर्हताप्राप्त विधि व्यवसायी अर्थात् अधिवक्ता (अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अर्थ के अंतर्गत) होना चाहिए जिसने उस रूप में सात वर्ष तक विधि व्यवसाय किया है। **टिप्पण 1 :**—उस अवधि की संगणना करने में जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने राज्य न्यायिक सेवा में कोई पद धारण किया है, ऐसी कोई अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान उसने कोई अन्य विधिक पद धारण किया है या जिसके दौरान वह विधि व्यवसायी रहा है। **टिप्पण 2 :**— उस अवधि की संगणना करने में जिसके दौरान कोई व्यक्ति विधि व्यवसायी रहा है, ऐसी कोई अवधि भी सम्मिलित की जाएगी, जिसके दौरान उसने राज्य न्यायिक सेवा में कोई पद धारण किया है या राज्य सरकार/केंद्रीय सरकार/संघ शासित क्षेत्र सरकार के किसी विभाग/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों में विधिक पद धारण किया है। **टिप्पण 3 :**—अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 4 :**—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं), जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। **वांछनीय :**—विधि अनुसंधान में चार वर्ष का अनुभव।	नहीं	प्रोन्नत और भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष पुनर्नियोजित भूतपूर्व सैनिकों के लिए दो वर्ष।

11	12
20% प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है। 40% प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्कालिक संविदा भी हैं)/आमेलन द्वारा (जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा) सशस्त्र बल कार्मिक के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए)।	**प्रोन्नति** :—ऐसा अधीक्षक (विधि) जिसने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा। परन्तु यह तब तक कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
40% सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रतिनियुक्ति** : (जिसके अंतर्गत अल्कालिक संविदा भी है)/आमेलन :— केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों/पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/अर्द्ध सरकारी/स्वशासी या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने 8000—13500 रु० के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है, या (iii) जिन्होंने 6500—10500 रु० के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ 8 के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। **सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए :—** सशस्त्र बलों के कैप्टन रैंक या समतुल्य पंक्ति के ऐसे सशस्त्र बल कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। यदि ऐसे अधिकारियों का चयन हो जाता है तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख को उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। यदि ऐसे पात्र अधिकारी पद पर वास्तविक चयन किए जाने से पहले सेवानिवृत्त हो जाते हैं या रिजर्व में स्थानांतरित हो जाते हैं, तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर होगी, (सिविल पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने तक पुनर्नियोजन होगा।) (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।) **टिप्पणी** :—केवल केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के अधिकारी आमेलन के लिए पात्र होंगे।

13	14
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (विभागीय प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए है) :— 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. सदस्य-सचिव, विधि अयोग —सदस्य 3. संयुक्त सचिव और विधि अधिकारी/अपर विधि सलाहकार, विधि आयोग/विधि कार्य विभाग —सदस्य **समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) :—** 1. सदस्य-सचिव, विधि आयोग —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव और विधि अधिकारी विधि आयोग/संयुक्त सचिव, विधि कार्य विभाग —सदस्य 3. अपर विधि अधिकारी, विधि आयोग/अपर विधि सलाहकार, विधि कार्य विभाग —सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7
उप विधि अधिकारी	03* (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	12000-375 16500 रु.	योग्यता के आधार पर चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं **टिप्पण 1** :—केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2** :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	हां

8	9	10
आवश्यक :—किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में मास्टर डिग्री या समतुल्य और जिनके पास विधि में, अध्यापन और/या अनुसंधान का दस वर्ष का अनुभव है। या	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष और पुनर्नियोजित सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए दो वर्ष।

8

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बैचलर डिग्री (स्नातक उपाधि) या समतुल्य और जिनके पास विधि में अध्यापन और/या अनुसंधान का बारह वर्ष का अनुभव है।

या

राज्य न्यायिक सेवा का बारह वर्ष तक सदस्य रहा हो।

या

ऐसा अर्हता प्राप्त विधि व्यवसायी अर्थात् अधिवक्ता (अधिवक्ता अधिनियम, 1961 अर्थ के अंतर्गत) होना चाहिए जिसने उस रूप में बारह वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो।

टिप्पण 1 :—उस अवधि की संगणना करने में जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने, राज्य न्यायिक सेवा में कोई पद धारण किया है, ऐसी कोई अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान उसने कोई अन्य विधिक पद धारण किया है या जिसके दौरान वह विधि व्यवसायी रहा है।

टिप्पण 2 :—उस अवधि की संगणना करने में जिसके दौरान कोई व्यक्ति विधि व्यवसायी रहा है, ऐसी कोई अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान उसने राज्य न्यायिक सेवा में कोई पद धारण किया है या राज्य सरकार/केंद्रीय सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के किसी विभाग/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों में विधिक पद धारण किया है।

टिप्पण 3 :—अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 4 :—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं (हैं), जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

वांछनीय :—विधि अनुसंधान में सात वर्ष का अनुभव।

11	12
20 प्रतिशत :— प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है। 40 प्रतिशत :—प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है/ आमेलन, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। (सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए) प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए)	**प्रोन्नति :**—ऐसा सहायक विधि अधिकारी जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण :**—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब तक कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/

11	12
40 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है/ आमेलन :—

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/मान्यता प्राप्त अनुसंधन संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/ अर्ध सरकारी/स्वशासी या विधिक संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है, या

(2) जिन्होंने 10000–15200 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या

(ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 में विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए :—प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन; सशस्त्र बल कार्मिकों हेतु :—

मेजर या समतुल्य पंक्ति के ऐसे सशस्त्र बल कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। यदि ऐसे अधिकारियों कर चयन हो जाता है तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। यदि ऐसे पात्र अधिकारी पद पर वास्तविक चयन किए जाने से पहले सेवानिवृत्त हो जाते हैं या रिजर्व में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर होगी। (सिविल पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने तक पुनर्नियोजन होगा।)

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति। जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

टिप्पण :—केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी आमेलन के लिए पात्र होंगे।

13	14
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति, प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए :— 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. सदस्य-सचिव, विधि आयोग —सदस्य 3. विधि कार्य विभाग में अपर सचिव/संयुक्त सचिव और साधारण प्रशासन का तत्समय भारसाधक यदि कोई हो विधि सलाहकार —सदस्य 4. संयुक्त सचिव और विधि अधिकारी/संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार, विधि कार्य विभाग —सदस्य **समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति, पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए :—** 1. सदस्य-सचिव, विधि आयोग —अध्यक्ष 2. विधि कार्य विभाग में अपर सचिव/संयुक्त सचिव और साधारण प्रशासन का तत्समय भारसाधक, यदि कोई हो विधि सलाहकार —सदस्य 3. संयुक्त सचिव और विधि अधिकारी, विधि आयोग/संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार, विधि कार्य विभाग —सदस्य	प्रोन्नति के अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7
4. अपर विधि अधिकारी	*02 (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	14300-400 18300 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है	**प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है :—** 1. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों/पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/अर्ध सरकारी/स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं, या, (ii) जिन्होंने 12000-16500 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :— किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में विधि में मास्टर डिग्री या समतुल्य और जिनके पास विधि में अध्यापन और/या अनुसंधान का बारह वर्ष का अनुभव है; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बैचलर डिग्री या समतुल्य और

	12
	जिनके पास विधि में अध्यापन और/या अनुसंधान का चौदह वर्ष का अनुभव है; या राज्य न्यायिक सेवा का चौदह वर्ष तक सदस्य रहा है। (ऐसा अर्हताप्राप्त विधि व्यवसायी अर्थात अधिवक्ता) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अर्थातंर्गत होना चाहिए जिसने उस रूप में चौदह वर्ष तक विधि का व्यवसाय किया हो। **टिप्पण : 1.**—उस अवधि की संगणना करने में जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने, राज्य न्यायिक सेवा में कोई पद धारण किया है, ऐसी कोई अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान उसने कोई अन्य विधिक पद धारण किया है या जिसके दौरान वह विधि व्यवसायी रहा है। **टिप्पण : 2.**—उस अवधि की संगणना करने में जिसके दौरान कोई व्यक्ति विधि व्यवसायी रहा है, ऐसी कोई अवधि भी सम्मिलित की जाएगी, जिसके दौरान उसने राज्य न्यायिक सेवा में कोई पद धारण किया है या राज्य सरकार/केंद्रीय सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के किसी विभाग/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों में विधिक पद धारण किया है। (ii) ऐसे विभागीय उप विधि अधिकारियों पर भी, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है, बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा। यदि उसका पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति के द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13	14
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7
5. संयुक्त सचिव और विधि अधिकारी	*01 (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	18400-500 22400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है	**प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है :—** 1. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों/पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/अर्ध सरकारी/स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या, (ii) जिन्होंने 14300-18300 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है, या (iii) जिन्होंने 12000-16500 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं:— किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में विधि में मास्टर डिग्री या समतुल्य और जिनके पास विधि में अध्यापन और/या अनुसंधान का सत्तरह वर्ष का अनुभव है; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बैचलर डिग्री या समतुल्य और जिनके पास विधि में अध्यापन और/या अनुसंधान का चौदह वर्ष का अनुभव है; या किसी राज्य न्यायिक सेवा का सत्तरह वर्ष तक सदस्य रहा है। या ऐसा अर्हताप्राप्त विधि व्यवसायी अर्थात् (अधिवक्ता अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अर्थ के अंतर्गत होना चाहिए जिसने उस रूप में सत्तरह वर्ष विधि व्यवसाय किया हो)। **टिप्पण : 1.**—उस अवधि की संगणना करने में जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने, राज्य न्यायिक सेवा में कोई पद धारण किया है, ऐसी कोई अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान उसने कोई अन्य विधिक पद धारण किया है या जिसके दौरान वह विधि व्यवसायी रहा है। **टिप्पण : 2.**—उस अवधि की संगणना करने में जिसके दौरान कोई व्यक्ति विधि व्यवसायी रहा है, ऐसी कोई अवधि भी सम्मिलित की जाएगी, जिसके दौरान उसने राज्य न्यायिक सेवा में कोई पद धारण किया है या राज्य सरकार/केंद्रीय सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के किसी विभाग/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों में विधिक पद धारण किया है। (ii) ऐसे विभागीय अपर विधि अधिकारी पर भी, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है, जिसके न हो सकने पर ऐसा अपर विधि अधिकारी जिसने सम्मिलित रूप से, उप विधि अधिकारी व अपर विधि अधिकारी के रूप में आठ वर्ष की नियमित सम्मिलित सेवा की है, बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा। यदि पद पर नियुक्ति के लिए चयन कर लिया जाता है तो पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति के द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे)। (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि भी है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

13	14
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए.-12018/2/98-वि.आ.]

बीर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

(Law Commission of India)

New Delhi, the 18th December, 2001

G.S.R. 38.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession of the Law Commission (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1987, as amended from time to time, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of the Group 'A' and Group 'B' posts in the Law Commission under the Department of Legal Affairs, Ministry of Law, Justice and Company Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Law Commission (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2002.

(2). They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said post, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum seniority or non selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible	Educational & other qualification required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Super-intendent (Legal)	02* (2001) * Subject to variation dependent on work-load.	General Central Services, Group 'B', Gazetted Non-Gazetted Ministerial	Rs. 7450-225-11500/-	Not applicable	Not exceeding 35 years **Note 1 :** (Relaxable for government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshdweep).	Yes	**Essential.** Master's degree in law of a recognised university or equivalent and possessing two years teaching and/or research experience in law; OR Bachelor's degree in law of a recognised university or equivalent and possessing four years teaching and/or re search experience in law; OR Should have been a member of state judicial service for four years; OR Should be a qualified legal practitioner i.e. Advocate (within the meaning of Advocates Act, 1961) who has practised as such for four years; Note 1 : In computing the period during which a person has held an office in the State Judicial service, there shall be included any period during which he has held any other legal post or any period during which he has been a legal practitioner.

(8)

Note 2 : In computing the period during which a person has been a qualified legal practitioner, there shall be included any period during which he has held any office in the state judicial service or has held a legal post in the department of state or Central Government/ Union Territory/ Recognised Research Institutions or Universities.

Note 3: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 4 : The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Desirable

One year's experience in legal research.

Whether age and education prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
9	10	11
Not Applicable	2 years	Direct Recruitment Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government:— (a) (i) holding analogous posts on regular basis;or (ii) with five years' regular service in posts in the scale of Rs 5500-9000 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
12	13	14
Not applicable	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) 1. Member Secretary/Joint Secretary and Law Officer, Law Commission —Chairman 2. Additional Law Officer, Law Commission/Additional Legal Adviser, Department of Legal Affairs—Member 3. Deputy Law Officer, Law Commission/Deputy Legal Adviser/Deputy Secretary, Department of Legal Affairs—Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. Assistant Law Officer	05* (2001) * Subject to variation dependent on work-load.	General Central Services, Group 'A', Gazetted Non-Ministerial	Rs. 10000-325-15200/-	Selection-cum-seniority	Not exceeding 40 years **Note 1 :** (Relaxable for government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the	Yes	**Essential :** Master's degree in law of a recognised university or equivalent and possessing five years teaching and/or research experience in law; OR Bachelor's degree in law of a recognised university or equivalent and possessing seven years teaching and/or research experience in law.

	(6)	(8)
	closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshdweep).	OR Should have been a member of state judicial service for seven years; OR Should be a qualified legal practitioner i.e. Advocate (within the meaning of Advocates Act, 1961) who has practised as such for seven years; **Note 1** : In computing the period during which a person has held an office in the State Judicial service, there shall be included any period during which he has held any other legal post or any period during which he has been a legal practitioner. **Note 2** : In computing the period during which a person has been a qualified legal practitioner, there shall be included any period during which he has held any office in the State Judicial service or has held a legal post in the Department of State or Central Government/ Union Territory/ Recognised Research institutions or Universities. **Note 3:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note 4:** The Qualifications (s) Regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service

(8)
Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. **Desirable :** Four Year's experience in legal research.

9	10	11
No	One year for promotees and direct recruits and two years for re employed ex-serviceman.	20% Promotion failing which by Deputation including short-term contract. 40% Deputation (including short-term contract)/ absorption failing which by direct recruitment (for armed forces personnel deputation/re-emploment (for ex-servicemen) 40% Direct recruitment.

12	13	14
Promotion : Superintendent (Legal) with seven years' regular service in the grade Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :— 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Member Secretary, Law Commission —Member 3. Joint Secretary And Law Officer/Additional Law Adviser, Law Commission —Member Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :— 1. Member Secretary, Law Commission —Chairman 2. Joint Secretary And Law Officer, Law Commission/ Joint Secretary, Department Of Legal Affairs —Member 3. Additional Law Officer, Law Commission/Additional Legal Adviser, Department Of Legal Affairs —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

12

Deputation (including short-term contract)/ absorption.

Officers under the Central/State Government/ Union Territories/ Recognised Research Institutes/ Universities/Public Sector Undertakings/ Semi-Government/Autonomous or Statutory Organisations:—

(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or

(ii) With five years' regular service in posts in the scale of Rs. 8000-13500 or equivalent; or

(iii) With eight years' regular service in posts in the scale of Rs. 6500-10500 or equivalent; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.

for Armed Forces Personnel

Deputation/re-employment (for ex-serviceman)

The armed forces personnel of the rank of captain or equivalent who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of the year and possessing the educational qualifications and experience prescribed for deputationist shall also be considered if selected such officers will be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the armed forces. thereafter. they may be continued on re-employment terms in case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made their appointment will be on re-employment basis. (re-employment upto the age of superannuation with reference to civil posts.)

(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for

12
consideration for appointment on deputation similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion period of deputation/contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately proceeding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years the maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract)/ absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application). **Note :** Only officers belonging to Central/State/Union Territories are eligible for absorption.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. Deputy Law Officer	03* (2001) * Subject to variation dependent on work-load.	General Central Services, Group 'A', Gazetted; Non-Ministerial	Rs. 12000-375-16500/-	Selection by merit	Not exceeding 50 years **Note 1 :** (Relaxable for government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu & Kashmir State Lahaul & Spiti District And Pangi Sub	Yes	**Essential** Master's degree in law of a recognised university or equivalent and possessing ten years teaching and/or research experience in law; OR Bachelor's degree in law of a recognised university or equivalent and possessing tweleve years teaching and/or research experience in law; OR Should have been a member of state judicial service for twelve years; OR Should be a qualified legal practitioner i.e. Advocate (within the meaning of Advocates

(6)	(8)
Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman Nicobar Islands or Lakshdweep).	Act, 1961) who has practised as such for twelve years. Note 1 : In computing the period during which a person has held an office in the State Judicial service, there shall be included any period during which he has held any other legal post or any period during which he has been a legal practitioner Note 2 : In computing the period during which a person has been a qualified legal practitioner, there shall be included any period during which he has held any office in the state judicial service or has held a legal post in the department of state or Central Government/ Union Territory/ Recognised Research institutions or Universities. Note 3: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 4: The Qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these

(8)
communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. **Desirable:** Seven years' experience in legal research.

9	10	11
Not applicable	One year for direct recruits and two years for Armed Forces Personnel re-employed	33.33% Promotion 66.67% Deputation (including short-term contract/absorption failing which by direct recruitment (for Armed Forces Personnel deputation)/re-employment (for ex-servicemen).

12	13	14
Promotion: Assistant Law Officer with five years' regular service in the grade Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service Deputation (including shor-term contract)/absorption Officers under the Central/State Government/ Union Territories/Recognised Research Institutes/Universities/Public Sector Undertakings/ Semi-Government/Autonomous or Statutory Organisations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or	Group 'A' Departmental Promotion Committee (For considering confirmation): 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Member Secretary, Law Commission —Member 3. Additional Secretary/Joint Secretary and Legal Adviser for the time being In-charge of General Administration, if any, in the Department of Legal Affairs —Member 4. Joint Secretary and Law Officer/Joint Secretary and Legal Adviser, Department of Legal Affairs —Member Group 'A' Departmental Promotion Committee (For considering confirmation). 1. Member Secretary, Law Commission —Chairman 2. Additional Secretary/Joint Secretary and Legal Adviser for the time being In-charge of General Administration, if any, in the Department of Legal Affairs —Member 3. Joint Secretary and Law Officer, Law Commission/ Joint Secretary, Department of Legal Affairs —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary except for promotion.

12

(ii) With five years' regular service in posts in the scale of Rs. 10000-15200 or equivalent; or

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.

For Armed Forces Personnel Deputation/re-employment (for ex-serviceman)

The armed forces personnel of the rank of major or equivalent who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and possessing the educational qualifications and experience prescribed for deputationists shall also be considered if selected such officers will be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the armed forces, thereafter, they may be continued on re-employment terms in case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made their appointment will be on re-employment basis. (Re-employment upto the age of superannuation with reference to civil posts.)

(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion period of deputation/contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years the maximum age limit for appointment by deputation (in-

12
cluding short-term contract)/ absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application). **Note :** Only officers from Central/State/Union Territories are eligible for absorption.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4. Additional Law Officer	02* (2001) * Subject to variation dependent on work-load.	General Central Services, Group 'A', Gazetted; Non-Ministerial	Rs. 14300-400-18300/-	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11
Not applicable	Not applicable	Promotion/deputation including short-term contract

12	13	14
Promotion/deputation (including short term contract) : 1 Officers under the Central/State Government/Union Territories/ Recognised Research Institutes/ Public Sector Undertakings/Semi Government/Autonomous or Statutory Organisations : (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) With five years' regular service in posts in the scale of Rs. 12000-—16500 or equivalent; or (b) possessing the following educational qualifications and experience Master's degree in law of a recognised university or equivalent and possessing twelve years' teaching and/or research experience in law	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

12

or

Bachclor's degree in law of a recognised university or equivalent and possessing fourteen years' teaching and/or rcsearch experience in law.

or

Should have been a member of state judicial service for fourteen years.

or

Should be a qualified legal practitioner i.e. Advocate (within the meaning of Advocates Act, 1961) who has practised as such for fourteen years.

Note 1 : In computing the period during which a person has held an office in the State Judicial Service, there shall be included any period during which he has held any other legal post or any period during which he has been a legal practitioners.

Note 2 : In computing the period during which a person has been a qualified legal practitioner, there shall be included any period during which he has held any office in the State Judicial Service or has held a legal post in the department of State or Central Government/Union Territory/ Recognised Research Institutions or universities.

2. the departmental Deputy Law Officer with five years' regular service in the gade shall also be considered along with outsiders. In case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion period of deputation/contract including

12	13	14
period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years the maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application).		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5. Joint Secretary/ Law Officer	01* (2002) * Subject to variation dependent on work-load.	General Central Services, Group 'A', Gazetted; Non-Ministerial	Rs. 18400-500-22400/-	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11
Not Applicable	Not applicable	Promotion/deputation including short-term contract

12	13	14
Promotion/deputation (including short term contract) 1. Officers under the Central/State Government/Union Territories/ Recognised Research Institutes/ Universities/Public Sector Undertakings/Semi Government/Autonomous or Statutory Organisations : (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) With three years' regular service in posts in the scale of Rs. 14300-18300 or equivalent; or (iii) With eight years' regular service in posts in the scale of Rs. 12000--16500 or equivalent; and (b) possessing the followig educational qualifications and experience : Master's degree in law of a recognised university or equivalent and possessing seventeen years teaching and/or research experience in law.	Not applicable	Consultation with Union with Union Public Service Commission necessary

12

or

Bachelor's degree in law of a recognised university or equivalent and possessing fourteen years' teaching and/or research experience in law.

or

Should have been a member of State Judicial Service for seventeen years.

or

Should be a qualified legal practitioner i.e. Advocate (within the meaning of Advocates Act, 1961) who has practised as such for seventeen years.

Note 1 : In computing the period during which a person has held an office in the State Judicial Service, there shall be included any period during which he has held any other legal post or any period during which he has been a legal practitioner.

Note 2 : In computing the period during which a person has been a qualified legal practitioner, there shall be included any period during which he has held any office in the State Judicial Service or has held a legal post in the department of State or Central Government/Union Territory/ Recognised Research Institutions or Universities.

2. The departmental Additional Law Officer with three years' regular service in the grade failing which Additional Law Officer with eight years combined regular service in the grades of Additional Law Officer and Deputy Law Officer shall also be considered along with outsiders. In case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

12
Period of deputation/contract including period of deputation/ contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (in-cluding short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application).

[F. No. A-12018/2/98-LC]
B. SINGH, Under Secy.

लघु उद्योग मंत्रालय

[विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय]

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2002

सा.का. नि. 39.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नक्शानवीस (लघु उद्योग विकास संगठन) भर्ती नियम, 1999 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नक्शानवीस (लघु उद्योग विकास संगठन) भर्ती (संशोधन) नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नक्शानवीस (लघु उद्योग विकास संगठन) भर्ती नियम, 1999 में, क्रम सं. 1 के सामने, स्तंभ 5 के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"चयन-सह-ज्येष्ठता"

[फा. सं. ए-12018/3/98-ए (एन.जी.)]
डी. के. गौतम, उपनिदेशक (प्रशासन)

पाद टिप्पण.—मूल नियम, सं. सा.का.नि. 160, तारीख 29 मई, 1999 द्वारा प्रकाशित हुए गए थे।

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES

(Office of the Development Commissioner—Small Scale Industries)

New Delhi, the 24th January, 2002

G.S.R. 39.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Draftsmen (Small Industries Development Organisation) Recruitment Rules, 1999, namely :—

1. (1) These rules be called the Draftsmen (Small Industries Development Organisation) Recruitment (Amendment) Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Draftsmen (Small Industries Development Organisation) Recruitment Rules, 1999, against serial number 1, for the entry under column 5, the following entry shall be substituted, namely :—

"Selection-cum-seniority".

[F. No. A-12018/3/98-A(NG)]
D. K. GAUTAM, Dy. Director (Administration)

Foot Note :—The principal rules were published vide number G.S.R. 160, dated the 29th May, 1999.

विद्युत मंत्रालय

(केन्द्रीय विद्युत बोर्ड)

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2002

सा.का. नि. 40.—भारतीय विद्युत नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय विद्युत बोर्ड, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (1910 का 9) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करता है, उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से, उपरोक्त तीन मास की अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किन्हीं अक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय विद्युत बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा;

ऐसे आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, सचिव, केन्द्रीय विद्युत बोर्ड, 907 (एस), सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066 को भेजे जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय विद्युत (संशोधन) नियम, 2002 हैं।

2. भारतीय विद्युत निगम, 1956 में,—

(1) नियम 67 (1क), के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"67 (1ख) विद्युत उत्पादन केन्द्रों, ईएचवी उप-केन्द्र और ईएचवी औद्योगिक संस्थापनों की दशा में, निष्प्रभावी, भू-संपर्क और संरक्षात्मक फ्रेम भू-संपर्क हो सकेगा यदि प्रणाली डिजाइन में ऐसा आवश्यक हो, सामान्य भू-संपर्क ग्रिड में समन्वय किया जाएगा, सम्मिलित गेट की भूमि को प्रतिरोधी क्षमता उपलब्ध कराई जाएगी जिससे पग को पार न कर सके और अनुज्ञेय मानों से परे क्षमता का स्पर्श न कर सके।"

(2) 'नियम 80' के स्पष्टीकरण भाग में अंत में निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"उपाबंध 16 में आरेख के अनुसार विभिन्न निर्बाधनों जैसे उर्ध्वाधर, क्षितिजीय और भूमिगत निर्बाधन पर विचार किया जाएगा"

(3) नियम 83 को नियम 83 (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:संख्यांकित नियम 83 (1) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"83(2) उपकेन्द्र या एचवी या ईएचवी विद्युत प्रदाय लाइनों टावर संरचना की चारदीवारी से 300 मीटर के भीतर किसी प्रयोजन के लिए कोई विस्फोट, ऐसे उप-केन्द्र या विद्युत प्रदाय लाइनों/टावर संरचनाओं के स्वामी से परामर्श किए बिना और खनन पट्टाधृति क्षेत्र की दशा में, मुख्य खान निरीक्षक या खान विद्युत निरीक्षक की लिखित अनुज्ञा के बिना नहीं किया जाएगा।"

4. उपाबंध XV के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"उपाबंध XVI

(नियम 80 देखिये)

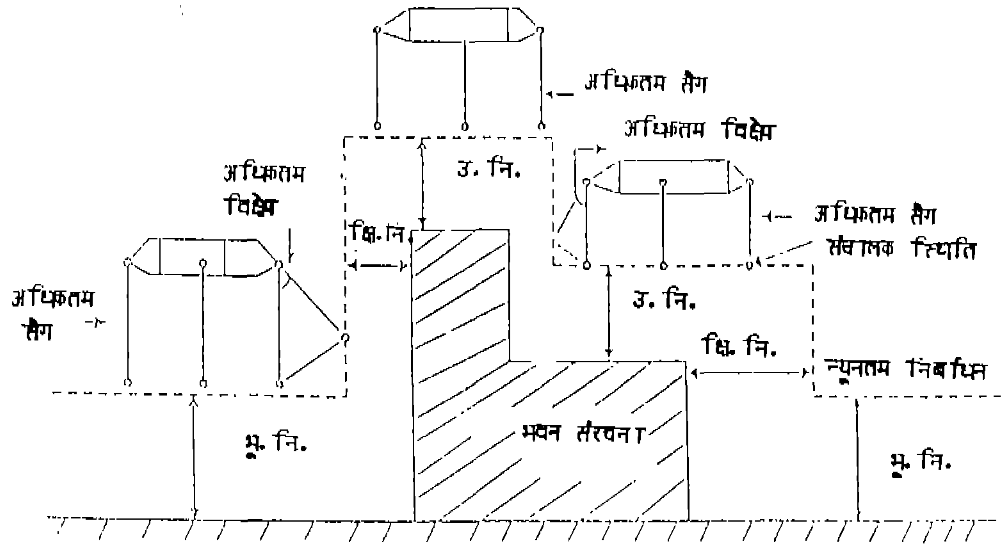

—भू.नि. : नियम 77 के अनुसार भूमिगत निर्बाधन —भूतल

उ.नि. : नियम 80(1) के अनुसार उर्ध्वाधन

क्षि.नि. : नियम 80 (2) के अनुसार क्षितिजीय निर्बाधन"

[सं. 2/2/99/37-के.वि.बो.]

एस. दासरी, सचिव

पाद टिप्पणी :—मूल नियम का.नि. ओ. सं. 1445 तारीख 26 जून, 1956 के जरिए प्रकाशित हुए थे तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित संख्या के जरिए संशोधित किए गए :—

सा.का.नि. संख्या 523, तारीख 28 मार्च, 1966
सा.का.नि. संख्या 1254, तारीख 8 अगस्त, 1967
सा.का.नि. संख्या 522, तारीख 17 मार्च, 1970
सा.का.नि. संख्या 29, तारीख 14 जनवरी, 1974
सा.का.नि. संख्या 838, तारीख 9 अगस्त, 1980
सा.का.नि. संख्या 253, तारीख 7 मार्च, 1981
सा.का.नि. संख्या 461, तारीख 9 मई, 1981
सा.का.नि. संख्या 735, तारीख 4 सितम्बर, 1982
सा.का.नि. संख्या 736, तारीख 4 सितम्बर, 1982
सा.का.नि. संख्या 137, तारीख 12 फरवरी, 1983
सा.का.नि. संख्या 253, तारीख 7 मार्च, 1983
सा.का.नि. संख्या 256, तारीख 26 मार्च, 1983
सा.का.नि. संख्या 361, तारीख 7 मई, 1983
सा.का.नि. संख्या 512, तारीख 16 जुलाई, 1983
सा.का.नि. संख्या 29, तारीख 14 जनवरी, 1984
सा.का.नि. संख्या 425, तारीख 27 अप्रैल, 1985
सा.का.नि. संख्या 732, तारीख 3 अगस्त, 1985
सा.का.नि. संख्या 843, तारीख 7 सितम्बर, 1985
सा.का.नि. संख्या 844, तारीख 7 सितम्बर, 1985
सा.का.नि. संख्या 1049, तारीख 9 नवम्बर, 1985
सा.का.नि. संख्या 1050, तारीख 9 नवम्बर, 1985
सा.का.नि. संख्या 1051, तारीख 9 नवम्बर, 1985
सा.का.नि. संख्या 1074, तारीख 16 नवम्बर, 1985
सा.का.नि. संख्या 117, तारीख 8 फरवरी, 1986
सा.का.नि. संख्या 528, तारीख 19 जुलाई, 1986
सा.का.नि. संख्या 529, तारीख 19 जुलाई, 1986
सा.का.नि. संख्या 772, तारीख 20 सितम्बर, 1986
सा.का.नि. संख्या 358, तारीख 9 मई, 1987
सा.का.नि. संख्या 481, तारीख 20 जून, 1987
सा.का.नि. संख्या 336, तारीख 23 अप्रैल, 1988
सा.का.नि. संख्या 730, तारीख 30 सितम्बर, 1989
सा.का.नि. संख्या 466, तारीख 18 जुलाई, 1991
सा.का.नि. संख्या 45, तारीख 1 जनवरी, 1993
सा.का.नि. संख्या 218, तारीख 18 अप्रैल, 1995
सा.का.नि. संख्या 112, तारीख 22 मार्च, 2000
सा.का.नि. संख्या 468, तारीख 16 नवम्बर, 2000

MINISTRY OF POWER

(Central Electricity Board)

New Delhi, the 29th January, 2002

G.S.R. 40.—The following draft of certain rules further to amend the Indian Electricity Rules, 1956 which the Central Electricity Board proposes to make, in exercise of the powers conferred by Section 37 of the Indian Electricity Act, 1910 (9 of 1910), is hereby published as required by Sub-section (1) of Section 38 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on or after the expiry of three months from the date of publication of this notifiction in the Official Gazette;

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the aforesaid period of three months shall be considered by the Central Electricity Board;

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Secretary, Central Electricity Board, 907 (S), Sewa Bhawan, R.K. Puram, New Delhi-110066.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Indian Electricity (Amendment) Rules, 2002.

2. In the Indian Electricity Rules, 1956, :—

(1) after rule 67 (1A), the following shall be inserted, namely :—

"67 (1B) In case of generating stations, EHV sub-stations and EHV industrial installations, the system neutral earthing and protective frame earthing may be, if system design so warrants, integrated into common earthing grid provided the resistance to earth of combined mat does not cause to exceed the step and touch potential beyond its permissible values."

(2) in the explanation part of the rule 80, the following shall be inserted at the end, namely :

"Various clearances such as vertical horizontal and ground clearance shall be considered as per the sketch in Acnnexure XVI."

(3) the rule 83 shall be renumbered as rule 83(1) and after rule 83(1) as so renumbered the following shall be inserted, namely :

"83(2) No blasting for any purpose shall be done within 300 metres from the boundary of Sub-station or from the HV or EHV electric supply lines or tower structure without the consultation of the owner of such Sub-station or electric supply lines or tower structures and in case of mining lease hold area without the permission , in writing, of the Chief Inspector of Mines or the Electrical Inspector of Mines."

(4) after Annexure XV, the following shall be inserted at the end, namely :—

"ANNEXURE XVI

(See Rule No. 80)

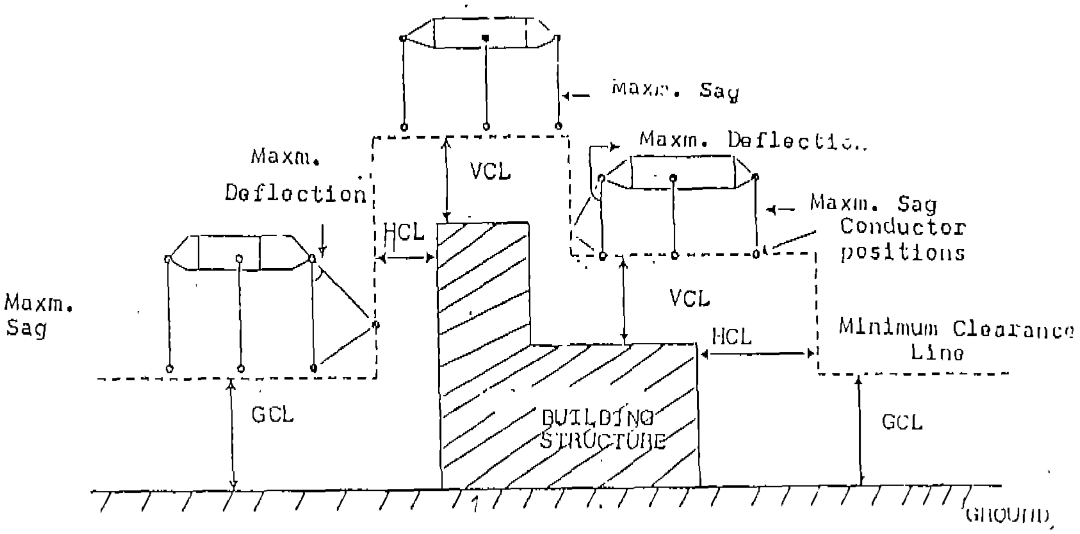

GCL : Clearance as per Rule-77
VCL : Clearance as per Rule - 80(1)
HCL : Clearance as per Rule - 80(2)"

[F. No. 2/2/99/CEB]
S. DASARI, Secy.

Foot Note :—The principal rules were published vide number SRO 1455, dated the 26th June, 1956 and subsequently amended vide number,

GSR No.523, dated 28th March, 1966
GSR No. 1254, dated 8th August, 1967
GSR No. 522, dated 17th March, 1970
GSR No. 29, dated 14th January, 1974
GSR No. 838, dated 9th August, 1980
GSR No. 253, dated 7th March, 1981
GSR No. 461, dated 9th May, 1981
GSR No. 735, dated 4th September, 1982
GSR No. 736, dated 4th September, 1982
GSR No. 137, dated 12th February 1983
GSR No. 253, dated 7th March, 1983
GSR No. 256, dated 26th March, 1983

GSR No. 361, dated 7th May, 1983
GSR No. 512, dated 16th July, 1983
GSR No. 29, dated 14th January, 1984
GSR No. 425, dated 27th April, 1985
GSR No. 732, dated 3rd August, 1985
GSR No. 843, dated 7th Spetember, 1985
GSR No. 844, dated 7th September, 1985
GSR No. 1049, dated 9th November, 1985
GSR No. 1050, dated 9th November, 1985
GSR No. 1051, dated 9th November, 1985
GSR No. 1074, dated 16th November, 1985
GSR No. 117, dated 8th February, 1986
GSR No. 528, dated 19th July, 1986
GSR No. 529, dated 19th July, 1986
GSR No. 772, dated 20th September, 1986
GSR No. 358, dated 9th May, 1987
GSR No. 481, dated 20th June, 1987
GSR No. 336, dated 23rd April, 1988
GSR No. 730, dated 30th September, 1989
GSR No. 466, dated 18th July, 1991
GSR No. 45, dated 1st January, 1993
GSR No. 218, dated 18th April, 1995
GSR No. 112, dated 22nd March, 2000
GSR No. 468, dated 16th November, 2000

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2002

सा.का. नि. 41.—संविधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में फल एवं सब्जी परिरक्षण क्षेत्र के बारे में तकनीकी सलाह देने एवं फल उत्पाद आदेश, 1955 जोकि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत सांविधिक आदेश है, के प्रशासन के लिए 22 जून, 2001 से एक फल एवं सब्जी परिरक्षण संवर्ग का गठन किया गया है।

2. इस संवर्ग का गठन निम्नलिखित होगा :

	पद (पदनाम एवं संख्या)	वेतनमान (रु. में)
1.	निदेशक (एफ. एंड वी.पी.)(1)	14300-400-18300/-
2.	संयुक्त निदेशक (एफ. एंड वी.पी.)(1)	12000-375-16500/-
3.	उप निदेशक (एफ. एंड वी.पी.)(5)	10000-325-15200/-
4.	वरिष्ठ निरीक्षण अधिकारी(19)	8000-275-13500/-
5.	सहायक निदेशक(एफ. एंड वी.पी.)(1)	8000-275-13500/-
6.	कनिष्ठ निरीक्षण अधिकारी(15)	6500-200-10500/-
7.	निरीक्षक (10)	5500-175-9000/-

3. इस संवर्ग के गठन के बाद, कंसल्टेंसी प्रभाग में संयुक्त निदेशक और सहायक निदेशक के पद रद्द माने जाएंगे क्योंकि ये पद, वित्त मंत्री के अनुमोदन से फल एवं सब्जी परिरक्षण संवर्ग में स्थानांतरित हो गए हैं और आगे से, वे ऊपर उल्लिखित परिवर्तित पदनामों से जाने जाएंगे।

[सं. ए-26011/4/97-एफ एंड वी पी-प्रशा.]

एस.पी. मदान, अवर सचिव

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi, the 22nd January, 2002

G.S.R. 41.—In exercise of the powers conferred under the Constitution, a Fruit and Vegetable Preservation Cadre in the Ministry of Food Processing Industries has been constituted with effect from 22nd June, 2001 in order to render technical advice on the fruit and vegetable preservation sector and to administer the Fruit Product Order, 1955, a statutory Order the Essential Commodities Act, 1955.

2. The composition of the cadre would be as under :

	Post (Designation & No.)	Scale of Pay (Rs.)
1.	Director (F&VP) (1)	14300-400-18300
2.	Joint Director (F&VP) (1)	12000-375-16500
3.	Deputy Director (F&VP) (5)	10000-325-15200
4.	Senior Inspecting Officer (19)	8000-275-13500
5.	Assistant Director (F&VP)(1)	8000-275-13500
6.	Junior Inspecting Officer (15)	6500-200-10500
7.	Inspector (10)	5500-175-9000

3. Following the constitution of this cadre, the erstwhile posts of Joint Director and Assistant Director in the Consultancy Division shall stand abolished as these posts stand transferred to the Fruit and Vegetable Preservation Cadre with the approval of the Finance Minister and would henceforth be known by their changed designations as indicated above.

[No. A-26011/4/97-F&VP-Admn.]

S. P. MADAN, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

(विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय)

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2002

सा.का. नि. 42.—मैं, पी.के. अग्रवाल, कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) के अन्तर्गत विनिर्मित सामान्य श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन नियम, 1988 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री के. पी. सिंह, वरिष्ठ विपणन अधिकारी तथा श्री सतबीर सिंह, विपणन अधिकारी, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के उप-कार्यालय, अमृतसर को कृषि एवं संबद्ध उत्पादों के श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन के संबंध में निम्न शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं :—

1. नियम 15

(1) प्राधिकृत पैकर के अनुरोध पर अधिनियम के उपबंधों के अधीन अनुसूचीबद्ध श्रेणीकृत तथा चिन्हांकित वस्तु के प्रत्येक प्रेषित माल के निर्यात के लिए विहित प्रपत्र में एगमार्क श्रेणीकरण प्रमाणपत्र हस्ताक्षर करना तथा जारी करना।

(2) किसी ऐसे निर्यातकर्ता को एगमार्क श्रेणीकृत परेषण के विक्रय की दशा में जो प्राधिकृत पैकर नहीं है, एगमार्क श्रेणीकरण प्रमाणपत्र प्राधिकृत पैकर के लिखित अनुरोध पर निर्यातकर्ता के पक्ष में पृष्ठांकित किया जा सकेगा परन्तु तब जबकि—

(क) प्रधिकृत पैकर विक्रय के पश्चात् भी श्रेणीकृत पैकेजों की जिम्मेदारी के बारे में वचन देता है; और

(ख) निर्यातकर्ता यह घोषणा करता है कि श्रेणीकृत परेषण का निरीक्षण कर लिया गया है और उसे संविदा में यथा विनिर्दिष्ट आयातकर्ता की क्वालिटी अपेक्षाओं के अनुरूप पाया गया है।

[फा. सं. क्यू-11011/10/2001-मानक]

पी. के. अग्रवाल, कृषि विपणन सलाहकार

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

(DIRECTORATE OF MARKETING AND INSPECTION)

New Delhi, the 24th January, 2002

G.S.R. 42.—I P.K. Agarwal, Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, in exercise of the powers conferred on me under the General Grading and Marking Rules, 1988 framed under the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) hereby authorise Shri K.P. Singh, Senior Marketing Officer and Shri Satbir Singh, Marketing Officer of sub-office of the Directorate of Marketing and Inspection, Amritsar to exercise the following powers in regard to Grading and Marking of Agricultural and Allied Products.

1. Rule 15

(1) To sign and issue the Certificate of Agmark Grading of every consignment of a scheduled article graded and marked, under the provisions of the Act, for export in prescribed form on request, to the authorised packer.

(2) In the event of sale of Agmark graded consignment to an exporter who is not an authorised packer, the Certificate of Agmark Grading may, on written request of the authorised packer, be endorsed in favour of the exporter provided—

(a) that the authorised packer furnishes an undertaking about the responsibility of the graded packages even after sale; and

(b) that the exporter furnishes a declaration that the graded consignment has has been examined and found to be conforming to the quality requirements of the importer as specified in the contract.

[F. No. Q-11011/10/2001-Std.]

P. K. AGARWAL, Agricultural Marketing Adviser

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2002

सा.का.नि. 43.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुछेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बेतार योजना और समन्वय तथा अनुश्रवण संगठन (तकनीकी अधिकारी और कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 1960, को जहां तक उनका संबंध संयुक्त बेतार सलाहकार/निदेशक (बेतार अनुश्रवण) के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, बेतार योजना और समन्वय तथा अनुश्रवण संगठन में संयुक्त बेतार सलाहकार/निदेशक (बेतार अनुश्रवण) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बेतार योजना और समश्रवय तथा अनुरवण संगठन (संयुक्त बेतार सलाहकार/निदेशक) (बेतार अनुश्रवण) भर्ती नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, और विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन-सह-ज्येष्ठता के आधार पर चयन अथवा अचयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय हैं या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
1. (अ) संयुक्त बेतार सलाहकार-3 (आ) निदेशक (बेतार अनुश्रवण)	04* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	18,400-500-22,400 रु.	चयन-सह-ज्येष्ठता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रोन्नति** :—ऐसा उप निदेशक (बेतार अनुश्रवण)/उप बेतार सलाहकार जिसने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर ऐसा उप निदेशक (बेतार अनुश्रवण)/उप बेतार सलाहकार जिसने समूह क में 17 वर्ष नियमित सेवा की है। जिसमें से 4 वर्ष नियमित सेवा उप निदेशक (बेतार अनुश्रवण)/उप निदेशक (बेतार अनुश्रवण) उप बेतार सलाहकार की श्रेणी में सेवा की हो। **टिप्पण** :—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

12

प्रतिनियुक्ति :—केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(क)(i) जिन्होंने वर्तमान काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जिन्होंने वर्तमान काडर/विभाग में 14300-18500 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर उस पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो ; या

(iii) जिन्होंने वर्तमान काडर/विभाग में 12000-16,500 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर उस पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 8 वर्ष सेवा की हो, और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :—

आवश्यक :—

(i) किसी मानयता प्राप्त विश्वविद्यालय इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम एस सी डिग्री जिसमें बेतार संचार रेडियो भौतिकी, रेडियो इंजीनियरी या इलैक्ट्रोनिकी एक विशेष विषय के रूप में रहा हो या समतुल्य,

(ii) बेतार/दूर संचार संगठन में 5 वर्ष के प्रशासनिक दायित्व के पदों के अनुभव सहित 15 वर्ष का अनुभव या बेतार/दूरसंचार संगठन में तकनीकी/अनुसंधान का 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव।

वांछनीय :

(i) बेतार/दूरसंचार विशेषत: रेडियो आवृत्ति/प्रबंध से संबंधित संगठनों में अनुभव और दक्षता परीक्षा का प्रमाण-पत्र

(ii) अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों और सम्मेलन का अनुभव।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे)। (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) 1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार —सदस्य 3. बेतार सलाहकार, भारत सरकार —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है जब किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की जानी हो।

[सं. 41-12/2001 प्रशासन-I]

एन. मुखर्जी, सहायक महानिदेशक (प्रशासन-I ख)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Telecommunications)

New Delhi, the 22nd January, 2002

G. S. R. 43.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Wireless Planning and Coordination and Monitoring Organisation (Technical Officers and Staff) (Recruitment Rules, 1960, in so far as they relates to the post of Joint Wireless Adviser/Director (Wireless Monitoring), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of joint Wireless Adviser/Director (Wireless Monitoring) in the Wireless Planning and Coordination and Monitoring Organisation, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Wireless planning and Coordination and Monitoring Organisation [Joint Wireless Adviser/Director (Wireess Monitoring] Recruitment Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, it classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule, annexed hereto.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc. :**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax :**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving :**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection by Merit or selection-cum-seniority or non-selection post	Age limit for direct recruitment
1	2	3	4	5	6
1(A) Joint Wireless Adviser...3 (B) Director (Wireless Monitoring)	04* (2001) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs.18,400-500-22,400/-	Selection by merit	Not applicable

Whether benefit of added years of service admissible	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
11	12
Promotion failing which by deputation.	**Promotion :** Deputy Director (Wireless Monitoring)/Deputy Wireless Adviser with 8 years' regular service in the grade, failing which Deputy Director (Wireless Monitoring)/Deputy Wireless Adviser with 17 years' regular service in Group 'A' posts of which 4 years' regular service shall be in the grade of Deputy Director (Wireless Monitoring)/Deputy Wireless Adviser. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualiyfing/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation :** Officers of Central Government/ State Governments/Union Territories :— (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/Department; or (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 14300—18300/- or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) With 8 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 12000—16500 or equivalent in the parent cadre/Department ; and (b) possessing the following educational qualifications and experience :— **Essential :—** (i) Degree in Engineering from a recognised university or equivalent ' or M.Sc. Degree with Wireless Communication, Radio Physics, Radio Engineering or Electronics as a special subject from a recognised University or equivalent ; (ii) 15 years' experience in a Wireless/Telecommunication organisation, including 5 years' experience in post(s) entailing administrative responsibility. OR 10 years' technical/research experience in a Wireless/Telecommunication organisation and 5 years' administrative experience. **Desirable :** (i) Experience in organisation (s) dealing with Wireless/Telecommunication, especially matters such as Radio Frequency/Management and Certificate of Proficiency Examination. (ii) Experience of international Telecommunication conventions and conference. The departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. similarly,deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Additional Secretary, Department of Telecommunications —Member 3. Wireless Adviser, Department of Telecommunications —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation

[No 41-12/2000-Admn. I]

N. MUKHERJEE, Asstt. Director General (Admn. I-B)

जल संसाधन मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2002

सा. का. नि. 44.—भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय की अधिसूचना सा. का. नि. 133 दिनांक 3-3-2001, जो भारत के राजपत्र के भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) के पृष्ठ 860-863 पर प्रकाशित हुआ है, में प्रधान नक्शानवीस के पद की अनुसूची के स्तंभ 10 में प्रविष्टियाँ 'लागू नहीं' पढ़ी जायें।

[सं. 4/2002/फा. सं. 35/5/99-स्थापना एक]

अशोक झा, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

CORRIGENDUM

New Delhi, the 23rd January, 2002

G. S. R. 44.—In the notification of Government of India in the Ministry of Water Resources G S R No. 133 dated 3-3-2001 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) at pages 860-863, the entries under column number 10 of the schedule for the post of Head Draftsman may be read as 'Not applicable'.

[No. 4/2002/F. No. 35/5/99-E. I]

ASHOK JHA, Under Secy.

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2002

सा. का. नि. 45.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और जल संसाधन मंत्रालय, स्टाफ कार ड्राईवर भर्ती नियम, 2000 को अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय में स्टाफ कार ड्राईवर (विशेष श्रेणी) स्टाफ कार ड्राईवर (श्रेणी I) स्टाफ कार ड्राईवर (श्रेणी II) स्टाफ कार ड्राईवर (साधारण श्रेणी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, स्टाफ कार ड्राईवर भर्ती नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान** :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि :**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हताएं :**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :**—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
स्टाफ कार ड्राईवर (विशेष श्रेणी)	1* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" राजपत्रित, सचिवीय	5000-150-8000 रु.	अचयन (ज्येष्ठता सह-योग्यता)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जायेगा
11	12
शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।	ऐसे विभागीय स्टाफ कार ड्राईवर (श्रेणी I) जिन्होंने श्रेणी I में तीन वर्ष नियमित सेवा की है, में से प्रोन्नति।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
13		14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— (1) अवर सचिव (समन्वय) (2) अवर सचिव (प्रशासन) (3) अनुभाग अधिकारी (सामान्य) (4) तकनीकी अधिकारी जो अनुभाग अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो या समतुल्य	 —अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य —सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
स्टाफ कार ड्राईवर (विशेष श्रेणी-I)	3* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" राजपत्रित, अननुसचिवीय	5000-150-8000 रु.	अचयन (ज्येष्ठता सह-योग्यता)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।	विभागीय व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के अध्यधीन ऐसे विभागीय स्टाफ कार ड्राईवर (श्रेणी II) जिन्होंने श्रेणी II में छह वर्ष नियमित सेवा की है, या जिन्होंने श्रेणी-II में और साधारण श्रेणी में कुल मिलाकर पंद्रह वर्ष सम्मिलित सेवा की है, में से प्रोन्नति।

13		14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— (1) अवर सचिव (समन्वय) (2) अवर सचिव (प्रशासन) (3) अनुभाग अधिकारी (सामान्य) (4) तकनीकी अधिकारी जो अनुभाग अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो या समतुल्य	 —अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य —सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
3. स्टाफ कार ड्राईवर (श्रेणी-II)	3* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	4000-100-6000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।	विभागीय व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के अध्यधीन ऐसे विभागीय स्टाफ कार ड्राईवर (साधारण श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में नौ वर्ष नियमित सेवा की है, में से प्रोन्नति

13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— (1) अवर सचिव (समन्वय) —अध्यक्ष (2) अवर सचिव (प्रशासन) —सदस्य (3) अनुभाग अधिकारी (सामान्य) —सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
4. स्टाफ कार ड्राईवर (साधारण श्रेणी)	2* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	3050-75-3950-80-4590 रु.	अचयन	25 से 30 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बाबत 50 वर्ष की जा सकती है। सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी शिथिलीय। **टिप्पण** :— आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए	नहीं

	6
	नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8	9	10
लागू नहीं होता **आवश्यक :** (क) मोटर यंत्रक्रिया के लिए विधिमान्य अनुज्ञप्ति हो और मोटर यान चालन का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो। (क) आठवीं कक्षा उत्तीर्ण (ग) हिन्दी या अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान हो। **वांछनीय :** मैट्रिक या समतुल्य अर्हता।	दो वर्ष	

11	12
स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	जल संसाधन मंत्रालय के, जिसके अंतर्गत जल संसाधन मंत्रालय के अधीन सहबद्ध अधीनस्थ और अन्य संगठन भी है, ऐसे नियमित ड्राईवर/हरकारों (समूह ग) और (समूह घ) कर्मचारियों में से, जिनके पास इस अनुसूची के स्तंभ 8 में विहित अर्हताएं हैं, स्टाफ कार चालक के लिए अनिवार्य समझी जाने वाली योग्यता की उपयुक्तता का निर्णय करने के लिए अभिकल्पित चालन परीक्षण के परिणामों के आधार पर स्थानांतरण द्वारा।

13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति (केवल पुष्टि के लिए) (1) अवर सचिव (प्रशासन) —अध्यक्ष (2) अवर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय —सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं.-9/1/2001-प्रशा.]

नरेश कुमार गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 29th January, 2002

G.S.R. 45.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Ministry of Water Resources Staff Car Driver Recruitment Rules 2000 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Driver (Grade-I), Staff Car Driver (Grade II) and Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the Ministry of Water Resources, Namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources Staff Car Driver recruitment Rules, 2002.

(2). They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, their classification and scale of pay.**—The number of the said post, their classification and scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. *Saving.*—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of post	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
1. Staff Car Driver (Special Grade)	1* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 5000-150-8000.	Non-selection (Seniority-cum-fitness)

Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rules 30 of CCS (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7	8
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
9	10	11
Not applicable	Not applicable	100% by promotion

In case of recruitment by promotion/deputation /absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Promotion from amongst departmental Staff Car Driver (Grade-I) with three years regular service in the Grade-I.	group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1. Under Secretary (C) —Chairman 2. Under Secretary (A) —Member 3. Section Officer (G) —Member 4. A technical officer not below the rank of Section Officer or equivalent —Member	Not applicable

1	2	3	4	5
2. Staff Car Driver (Grade-I)	3* (2002) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 5000-150-8000.	Non-selection (Seniority-cum-fitness)

6	7	8
Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11
Not applicable	Not applicable	100% by promotion

12	13	14
Promotion from amongst departmental Staff Car Driver (Grade-II) with six years regular service in the Grade-II, or a Combined Service of 15 years in Grade-II and in Ordinary Grades put together, subject to passing departmental trade test.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1. Under Secretary (C) —Chairman 2. Under Secretary (A) —Member 3. Section Officer (G) —Member 4. A technical officer not below the rank of Section Officer or equivalent —Member	Not applicable

1	2	3	4	5
3. Staff Car Driver (Grade-II)	2* (2002) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 4000-100-6000	Non-selection

6	7	8	9	10	11
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	100% by promotion

12	13	14
Promotion from amongst departmental Staff Car Driver (Ordinary Grade) with nine years regular service in the Grade, subject to passing a Departmental Trade Test	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion): 1. Under Secretary (C) —Chairman 2. Under Secretary (A) —Member 3. Section Officer (G) —Member	Not Applicable

1	2	3	4	5
4. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	2* (2002) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Non-selection

6	7	8
Between 25 to 30 years (Relaxable to Government servants upto 45 years in case of general candidates and 50 years in respect of Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates in accordance with the instructions of orders issued by the Central Government. Also relaxable for Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the Government from time to time. **Note : 1.** The crucial date for determining age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti, and District Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep). **Note : 2.** In the case of appointment through Employment Exchange the crucial date for determining the age limit shall be the last date by which the Employment Exchange is asked to submit the names.	No	**Essential :** (a) Possession of a valid licence for motor mechanism and experience of deiving for at least 5 years. (b) VIII standard pass (c) Working knowledge of Hindi or English **Desirable** Matriculation or equivalent qualification

9	10	11
Not applicable	2 years	By transfer, failing which by direct recruitment

12	13	14
Transfer : By transfer on the results of a driving test designed to adjudge the suitablity of competence considered essential in Driving of staff Cars from regular Drivers/Despatch Rider (Group 'C') and Group 'D' employees of belonging to Ministry of Water Resources including attached, sub-Ordinate and other organisations under the Ministry of Water Resources, who possess the qualifications as prescribed in column No. 8 of the Schedule.	Departmental Promotion Committee (for Confirmetions of only): 1. (Under Secretary Adminstration)—Chairman 2. Under Secretary (A) Ministry of Water Resources—Member	Not applicable

[F. No. 9/1/2001-Admn.]

N. K. GUPTA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.